

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या - ----01438/2021----- आवेदन सं0 ----01438/29-06-2021-----

चूँकि श्री/श्रीमति - Md. Nadim-UI-Haque & Others-----According to Available Record Index- I I

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये।
(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता0 ----01-01-2006----- से ता0---28-06-2021-----तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चलासम्पत्ति ऋण अवभार से मुक्त है।-----

----- चला है अतः -----

क्र0 सं0	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र0 निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza-Sandalpur Kalan, P.S.- Sultanganj, Thana No.-11, Tauzi No.-303, Khata No.-602 & 895, S.Plot No.-1003 and 1004, sheet no.-132, ward no.- 18/24/40, m.s.plot no.-502 and 664 part, area-13 katha 18 dhur 16 dhurki.							

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

2. बंधक-पत्र की दिशा व्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।

3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपयुक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जाँच निम्न व्यक्ति ने की :

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय:- अवर निबंधन कार्यालय, पटना सिटी

तारीख: -----29-06-2021-----

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति (बाहरी) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवृष्टियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर वही और अनुक्रमणियों उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, अवर निबंधन, पटना सिटी।

ज्ञाप संख्या-

दिनांक

आवेदक श्री/श्रीमति - Md. Nadim-Ul-Haque & Others

का ऋणभार प्रमाण-पत्र द्वारा -To, Manager, Canara Bank, Bailey Road Branch, Patna-

का उनके पत्र संख्या----- दिनांक -----के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,

पटना सिटी।